भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1950

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक संयंत्रों में औद्योगिक सुरक्षा उन्नयन

1950 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उर्वरक विनिर्माण इकाइयों को पुराने पड़ चुके पात्रों, मशीनरी और प्रक्रिया उपकरणों को बदलने का निर्देश देने का विचार रखती है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके, क्योंकि ये संयंत्र हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हैं और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के समीप स्थित हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा तथा लागू सांविधिक सुरक्षा मानक क्या हैं;
(ग) क्या अनिवार्य सुरक्षा उन्नयन को कवर करने वाले अद्यतन नियत लागत मानदंडों को शामिल करने के लिए नियत लागत नीति में संशोधन किया गया है;
(घ) वर्ष 2014 से लंबित नियत लागत संबंधी मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) क्या समय-समय पर तृतीय-पक्ष सुरक्षा संपरीक्षा और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना विचाराधीन है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) (ख) और (ङ): यूरिया उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा और संरक्षा सीधे उर्वरक विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। तथापि, सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने एक आदर्श सुरक्षा प्रोटोकॉल जांच सूची तैयार की है, जिसे समीक्षा और निगरानी के लिए मासिक आधार पर यूरिया इकाइयों से प्राप्त किया जा रहा है। भंडारण टैंक सहित अमोनिया प्रणालियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, परिवहन के दौरान अमोनिया भंडारण और हैंडलिंग के डिजाइन में सुरक्षा को अपनाना, कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना इन रिपोर्टों में शामिल कुछ प्रमुख पहलू हैं।

एसएसपी इकाइयों के लिए, उर्वरक विभाग अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से एसएसपी उत्पादन इकाइयों की तकनीकी संपरीक्षा और निरीक्षण करता है। ये संपरीक्षाएं संयंत्र क्षमता, उत्पादन मानदंडों, कच्चे माल के उपयोग और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के मानकों के अनुपालन का आकलन करती हैं। लेकिन एसएसपी इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन या समर्पित तृतीय-पक्ष सुरक्षा संपरीक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाली एक विशिष्ट नीति को स्पष्ट रूप से एक अलग राष्ट्रीय स्कीम के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की टिप्पणी के अनुसार यूरिया इकाइयों की लागत-निर्धारण से संबंधित मुद्दों को वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार (लागत) को जांच और सिफारिशों के लिए भेजा जा सकता है। उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से अनुरोध किया कि मुख्य सलाहकार (लागत) संशोधित एनपीएस-III के तहत 2300 रुपये प्रति एमटी की न्यूनतम नियत लागत के प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 2 अप्रैल 2014 से बहाल करने के साथ-साथ यूरिया उत्पादन इकाइयों की नियत लागत के संशोधन की जांच करके इस पर सिफारिशें दें। मुख्य सलाहकार (लागत) की रिपोर्ट विभाग में प्राप्त हो गई है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

*****